इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 500] भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2014—कार्तिक 7, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014

क्र. 6180-271-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक १० सन् २०१४

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, २०१४

''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', में दिनांक २९ अक्टूबर, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत: राज्य के विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १ सन् १९९४ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा ३६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३६ में, उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (गग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(गघ) जिसके नाम से, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों को देय, उस माह के प्रथम दिवस को, जिसमें कि निर्वाचन अधिसूचित किया गया हो, छह मास से अधिक की कालावधि के कोई शोध्य हों; या '';

(दो) खण्ड (ज) का लोप किया जाए.

भोपाल :
तारीख २८ अक्टूबर २०१४

राम नरेश यादव
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014

क्र. 6181-271-इक्कीस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 10 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 10 OF 2014

THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT RAJ AVAM GRAM SWARAJ (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2014

First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 29th October, 2014.

Promulgated by the Governor in the sixty-fifth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Panchyat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title & commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Sanshodhan) Adhyadesh, 2014.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Madhya Pradesh Act No. 1 of 1994 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendment specified in section 3.

Amendment of Section 36.

3. In Section 36 of the principal Act, in sub-section (1),—

(i) after clause (cc), the following clause shall be inserted, namely:—

"(cd) has any dues, payable to the Madhya Pradesh State Electricity Board or its successor companies, standing against him name for a period exceeding six months on the first day of the month in which the election has been notified; or";

(ii) clause (h) shall be omitted.

RAM NARESH YADAV
Governor
Madhya Pradesh.

Bhopal :
Dated the 28th October 2014

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.